न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

वाद पत्र संख्या :- 64 / 1994

1. मूलीबाई पति देवीलाल जाति गूजर निवारी सूलीमगरा तह0 बेगूं
2. मांगीलाल पिता देवीलाल जाति गूजर पत्नी मांगीलाल गूजर निवारी सूलीमगरा तह0 बेगूं
3. शांतिबाई पिता कन्हैयालाल जाति गूजर पत्नी शंकरलाल गूजर निवारी सूलीमगरा तह0 बेगूं

वादीगण

बनाम

1. श्रीती धापूबाई बेवा कन्हैयालाल जाति गूजर निवारी सूलीमगरा तह0 बेगूं
2. धीसी पुत्री कन्हैयालाल जाति गूजर निवारी सूलीमगरा तह0 बेगूं
3. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं
4. शिवलाल पिता कन्हैयालाल धाकड निवारी चांद जी की खेडी तह0 बिजोलियां जिला भीलवाडा
5. लोकेश कुमार पिता कन्हैयालाल धाकड निवारी चांद जी की खेडी तह0 बिजोलिया जिला भीलवाडा
6. नरेश कुमार पिता रमेशचन्द धाकड निवारी फतहनगर तह0 बिजोलिया (भीलवाडा)
7. कैलाशचन्द पिता प्रभूलाल धाकड निवारी बृजपुरा तह0 बिजोलिया जिला भीलवाडा
8. सुभाषचन्द पिता लीलाशंकर धाकड निवारी शादी तह0 बेगूं
9. सोहनलला पिता बालूराम धाकड निवारी अनेड तहसील सिंगोली जिला नीमच (म.प्र.)
10. गिरीराज पिता शांतिलाल कोठारी (महाजन) निवारी बस्सी तह0 व जिला चित्तौडगढ़
11. शांतिलाल पिता लक्ष्मीनारायण कोठारी (महाजन)निवारी बस्सी तह0 व जिला चित्तौडगढ़
12. दुर्गादेवी पत्नी शांतिलाल कोठारी (महाजन) निवारी बस्सी तह0 व जिला चित्तौडगढ़
13. कृष्णगोपाल पिता शांतिलाल कोठारी (महाजन) निवारी बस्सी तह0 व जिला चित्तौडगढ़
14. शिवलाल पिता हीरालाल गुर्जर निवारी सामरियाकलां तहसील बेगूं

प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वादीगण
श्री भोलेश कुमार भट्ट
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :- 30.06.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद इस प्रकार से है कि वादीनी संख्या 1,2 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वंशवृक्ष (सजरा) निम्न प्रकार है:-

देवीलाल पिता भूरा (मृत)

मु.मूलीबाई (पत्नि) (वादी सं. 1) | कन्हैयालाल पुत्र मृत | मांगीबाई (वादी सं. 2)

कन्हैयालाल पुत्र मृत:

मु0धापू (पत्नि) प्रतिवादी सं. 1 | शांतिबाई (पुत्री) वादी सं. 3 | धीसी प्रति.सं. 2

यह कि मृत देवीलाल के मौजा माधोपुर पटवार हल्का दौलतपुरा तह0 बेगूं में निम्न आराजीयात स्थित थी जिसका देवीलाल खातेदार काश्तकार था।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ़)

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
230	0.06
231	0.88
233	0.18
234	0.74
235	0.05
236	0.09
237	0.73
238	0.10
कुल कीता–8 रकबा	2.83 हैक्टर

यह कि मृतक देवीलाल के खातेदारी मे मौजा बेगू पटवार हल्का बेगूँ में भी जमीन स्थित है जिसके आराजी नं0 1900 रकबा 0.776 हैक्टर है। यह कि उक्त जायदाद पैतृक सम्पत्ति है तथा देवीलाल की मृत्यु के पश्चात देवीलाल के उत्तराधिकारियों में उसकी (देवीलाल) पत्नि व वादीनी सं. 1 उसका पुत्र कन्हैयालाल (मृत) व उसकी पुत्री श्रीमति मांगीबाई वादीनी सं. 2 थे लेकिन राजस्व रेकार्ड में गलती से केवल कन्हैयालाल के नाम ही अंकन किया गया। कन्हैयालाल की भी मृत्यु दिनांक 26.12.93 को हो गई। कन्हैयांलाल के उत्तराधिकारियो में श्रीमति शांतिबाई (पुत्री) वादीनी सं. 3 तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 है। इस प्रकार मृतक देवीलाल द्वारा छोडी गई उक्त वर्णित जायदाद में वादीनी मूलीबाई का 1/3 हिस्सा, वादीनी मांगीबाई का 1/3 हिस्सा व मृतक कन्हैयालाल का 1/3 हिस्सा जिसके अधिकारी वादी सं. 3 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 है। अर्थात कन्हैयालाल गूजर के उत्तराधिकारी प्रत्येक 1/9 हिस्से के हकदार कानूनन है। तथा इसी अनुसार जमीन के खातेदार काश्तकार होने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण कानूनन वादपत्र की चरण सं. 4में वर्णित हिस्से अनुसार उक्त भूमि की खातेदारी काश्तकार होने के अधिकारी है लेकिन चूंकि देवीलाल की मृत्यु के पश्चात उसकी पूरी आराजी जो कि वादपत्र की चरण सं. 2,3 में दर्ज है को मृतक कन्हैयालाल के नाम गलत अंकन कर दी गई व मृतक कन्हैयालाल की मृत्यु के पश्चात मौजा माधोपुर की आराजी के नामान्तरण सं. 86 दिनांक 25.5.94 से उक्त आराजी को घीसी पिता कन्हैयालाल ना.ब.स. माता धापूबाई बेवा कन्हैयालाल गूजर के नाम पर दर्ज कर जमाबंदी में अंकन कर दिया जो कानूनी दृष्टि भी पूर्ण रूप से गलत है। कन्हैयालाल मृतक के सम्पूर्ण उत्तराधिकारियों को ीाी उक्त नामान्तरण सं. 86 में नामांकित नहीं किया है इसी प्रकार मौजा बेगूँ की आराजी सं. 1900 रकबा 0.776 का भी नामान्तरणकरण सं. 1038 दिनांक 16.7.94 फैसल किया गया जिसमें वादी सं. 3 शांति व प्रतिवादीगण के नाम पर जमीन को अमल की गई है यह भी कानूनन गलत है। उक्त दोनो ही आराजीयात वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित वंशवृक्ष (सजरा) व चरण सं. 4 में वर्णित तफसील के आधार पर जमाबंदी राजस्व रेकार्ड में अंकित होना चाहिए इसलिए घोषणा का यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि वादपत्र की चरण सं. 2 व 3 में वर्णित आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का बंटवारा भी अपने अपने हक के अनुसार किये जाने के लिए व क्यो कि प्रतिवादीगण उक्त आराजी को बदनियति से खुर्द बुर्द करना चाहती है जिसे रोकने के लिए तथा सम्पत्ति की घोषणा की जाकर बंटवारा होने तक प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किए जाने हेतु भी यह वादपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 26.12.93 को मृतक कन्हैयालाल की मृत्यु होने के पश्चात वादीगण ने प्रतिवादीगण को न्यायालय में चलकर अपने अपने हक व अधिकारो के अनुसार जमीन का अंकन कराने व बंटवारा कराने के लिए कहने व उनके मना करने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। यह कि वाद पत्र में वर्णित भूमि न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वादपत्र श्रीमान आपके श्रवणाधिकार में है। प्रतिवादी सं. 3 आवश्यक पक्षकार होने से वादपत्र में पक्षकार प्रतिवादी बनाये गये है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि :–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

कि मौजा माधोपुर पटवार हल्का दौलतपुरा तह0 बेगूँ में स्थित आराजीयात जो वादपत्र की चरण सं. 2 वर्णित है की घोषणा करते हुए वादी सं. 1 मूलीबाई का 1/3 हिस्सा, वादी सं. 2 मांगीबाई का 1/3 हिस्सा तथा वादी सं. 3 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/3 हिस्सा घोषित किया जावे व डिक्री प्रदान की जावें।

2– कि मौजा बेगूँ पटवार हल्का बेगूँ में स्थित आराजी नं. 1900 रकबा 0.776 हैक्टर का भी वादी सं. 1 व 2 के वादी सं. 3 तथा प्रतवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में 1/3, 1/3 हिस्सा घोषित किया जावे व डिक्री प्रदान की जावें।

3– कि मौजा बेगूँ व मौजा माधोपुर में स्थित आराजी जो कि वादपत्र की चरण सं. 2 व 3 में वर्णित है का वादीगण सं. 1 व 2 व वादी सं. 1 तथा प्रतिवादीसं. 1 व 2 के बीच अपने अपने हक अधिकार के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का बंटवारा किए जाने का भी आदेश प्रदान कराया जावें व डिक्री भी प्रदान की जाने का आदेश फरमावें।

4– प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश भी प्रदान कराया जावे कि वादपत्र में वर्णित भूमि का दोनों पक्षो के मध्य घोषणा व बंटवारा होने व राजस्व रेकार्ड में अंतिम रूप से अंकन होने तक प्रतिवादीगण इस भूमि को किसी को बेचान न करे तथा किसी तरह से खुर्द बुर्द न करें।

5– कि वादीगण को प्रतिवादीगण से वादपत्र व वकील महनताना दिलाया जावें।

6– कि अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण धारा 209 रा.टि.एक्ट के तहत प्राप्त करने के अधिकारी हो प्रदान कराई जावें।

वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री ईनापी व श्री गोपाल गुरूजी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा माधोपुर की आराजी कीता– 8 कुल रकबा 2.88 हैक्टर व मौजा बेगूँ की आराजी नं0 1900 रकबा 0.776 हैक्टर मुझ प्रतिवादीया के पति व धीसी के पिता कन्हैयालाल मृतक के मिलकियत की होकर बापी है जो खाते में मृतक कन्हैयालाल के नाम दर्ज है और उनके इन्तकाल के बाद हम प्रतिवादी उनके वारिस होने से विरासत से हमारे नाम दर्ज होकर हमारे ही कब्जे काश्त में है इसमें वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है। यह आराजी हम प्रतिवादीगण के पति व पिता के जीवनकाल में ही कन्हैयालाल के नाम पर दर्ज थी एवं उनके जीते जी खाता बदलवाने की कार्यवाही नहीं करवाई परन्तु अब परेशान करने व जमीन हडपने की नियत से गलत दावा पेश किया है। दिनांक 26.07.89 को मृतक कन्हैयालाल ने मुझ प्रतिवादी सं0 2 धीसी के नाम पर जैरबहस आराजी जरिये रजिस्टर्ड वसीयत से खाते में दर्ज हुई व कब्जे काश्त में है। वादीगण का उक्त आराजीयात में कोई हक व हिस्सा नहीं है। जो इन्तकाल हमारे पक्ष में फैसल हुए है वे न्यायसंगत है। अतः वादीगण का वाद खारीज फरमाया जावें।

यह कि प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत होने पर निम्न लिखित तनकी पत्र पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया :–

1– आया ग्राम माधोपुर प0ह0 दौलतपुरा की आराजी नं0 230, 231, 233 से 238 रकबा 2.83 हैक्टर एवं ग्राम बेगूँ की आराजी नं0 1900 रकबा 0.776 हैक्टर भूमि वादीगण की पैतृक आराजी है तथा मृतक देवीलाल पिता भूरा की खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है? वादी

2– आया वादपत्र के पैरा कमांक 2 व 3 में वर्णित आराजी पर मृतक देवीलाल पिता भूरा के पश्चात उसके उत्तराधिकारी मु0 वादी सं0 1 मृतक कन्हैयांलाल व वादी सं0 2 थे लेकिन गलती से खाता केवल कन्हैयांलाल पिता देवीलाल के नाम पर ही अंकित किया गया था? वादीगण

3– आया कन्हैयालाल खातेदार की मृत्यु दिनांक 26.12.93 को हो गई है तथा उसके उत्तराधिकारी वादिनी सं0 3 एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 है तथा मृतक देवीलाल की जायदाद में वादी सं0 1 का 1/3 वादी सं0 2 का 1/3 हिस्सा एवं तथा मृतक कन्हैयांलाल के उत्तराधिकारियों वादी सं0 3 एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 1/3हिस्सा दर्ज होना चाहिए व सभी 1/9–1/9 हिस्से के अधिकारी है। एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त वर्णित हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है? वादीगण

4– आया कन्हैयांलाल की मृत्यु पश्चात वादपत्र की चरण सं0 2 में अंकित आराजी का नामान्तरण सं0 1038 ग्राम बेगूँ गलत होने के कारण निरस्त होने योग्य है? वादीगण

5– आया वाद पत्र की चरण सं0 2 व 3 में अंकित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का बंटवाडा कराने का वैद्य रूप से अधिकारी है? वादी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

आया मृतक कन्हैयांलाल द्वारा मु0 घीसी के पक्ष में दिनांक 21.7.89 को की गई वसीयत पुश्तैनी वादाद से सम्बन्धित होने के कारण अवैध एवं वादीगण के मुकावले बेअसर है? वादीगण

7– आया ग्राम माधोपुर एवं ग्राम बेगूँ की आराजी वाद पत्र के पेरा नं0 2 व 3 में अंकित का देवीलाल की मृत्यु पश्चात कन्हैयांलाल के नाम पर जायज तरीके से आया है एवं कन्हैयांलाल मृतक की मृत्य के पश्चात भी नामान्तरण सही एवं न्यायसंगत खोले गये है? प्रतिवादीगण

8– आया वादीगण ने प्रतिवादीगण को परेशान करने व जमीन हडपने की नीयत के कारण गलत दावा पेश किया है? प्रतिवादीगण

9–आया मृतक कन्हैयांलाल ने अपन जीवनकाल में मौजा माधोपुर प0ह0 दौलतपुरा की वादपत्र की पैरा सं0 2 में वर्णित आराजी के प्रतिवादी सं0 2 घीसी के हक में वसीयतनामा तरमीम करा पंजीयन करा देने से मु0 घीसी को विरासत में प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण

10– आया वादीगण की धारा 53–88 राज0टी0एक्ट के तहत वादपत्र लाने का अधिकार नहीं है? प्रतिवादी

11– आया वादीगण की धारा 53–88 रा0टी0एक्ट के तहत वादपत्र लाने का अधिकार नहीं है? प्रति.

12– अनुतोष ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य पत्रावली में ली गई। यहॉ हम उल्लेख करना उचित समझते है कि इस दावा पत्रावली में इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में इस वाद पत्र का दिनांक 11.03.2002 को निर्णय निम्न प्रकार से किया गया था :–

" अतः उपरोक्त तनकीवार निर्णय के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आशय का किया जाता है कि मौजा माधोपुर की आराजी नम्बर 230 रकबा 0.06 हैक्टर, आराजी नं0 231 रकबा 0.80 हैक्टर, आराजी नं0 233 रकबा 0.18 हैक्टर, आराजी नम्बर 234 रकबा 0.74 हैक्टर, आराजी नं0 235 रकबा 0.05 हैक्टर, आराजी नं0 236 रकबा 0.09 हैक्टर ,आराजी नं0 237 रकबा 0.73 हैक्टर , आराजी नं0 238 रकबा 0.10 हैक्टर कुल कीता–8 रकबा 2.83 हैक्टर तथा मौजा बेगूँ की आराजी नम्बर 1900 रकबा 0.776 हैक्टर का वादीया मूलीबाई को 5/12मांगीबाई को 1/3, शान्तिबाई को 1/12, व घीसीबाई को 1/12 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाकर बंटवाडे बाबत तहसीलदार बेगूँ को 200/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार उपरोक्त हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के अनुसार दोनो पक्षो की मौजूदगी में बंटवाडा कर भिजवावें। प्राथमिक डिक्री जारी हो। "

उपरोक्त प्राथमिक निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी धापूबाई पत्नी कन्हैयांलाल गुर्जर व घीसी पिता कन्हैयांलाल गुर्जर द्वारा प्रथम अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ द्वारा उनके निर्णय दिनांक 23.09.2003 से निर्णय निम्न प्रकार से प्रदान किया "अतः अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.3.2002 में संशोधन किया जाकर मौजा माधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 23, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238 कुल कीता–8 रकबा 2.83 हैक्टर व मौजा बेगूँ की भूमि खसरा नम्बर 1900 रकबा 0.776 हैक्टर में वादीया मूलीबाई पत्नी देवीलाल का 1/3 , वादीया मांगीबाई पुत्री देवीलाल का 1/3 तथा वादीया 3 शान्तिबाई पुत्री कन्हैयांलाल का 1/9 तथा प्रतिवादी –1 धापूबाई बेवा कन्हैयालाल का /9 व प्रतिवादी 2 घीसी पुत्री कन्हैयालाल का 1/9 हक का संयुक्त खातेदार घोषित किया विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। उपखण्ड अधिकारी बेगूँ को निर्देश दिये जाते है कि तहसीलदार बेगूँ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार अन्तिम डिक्री जारी करे कमिश्नर शुल्क 200/– रूपये वादी अदा करें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।"

पत्रावली में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ के न्यायालय में प्रार्थी सोहनलला पिता बालूराम जी धाकड निवासी अनेड की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ के निर्णय दिनांक 09.07.2015 से आदेश दिया गया कि " अतः उभयपक्ष की सहमति के सन्दर्भ में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के निर्णय दिनांक 11.03.2012 अपास्त किये जाते है। प्रकरण प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. और प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के सन्दर्भ में उभयपक्ष की पुनः सुनवाई करके निश्चय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हे तु दिनांक 27.08.2015 को उपस्थित रहे।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ)

इस प्रकार पत्रावली में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ के प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पर आदेश दिनांक 09.07.2015 की पालना में इस दावा पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री भोलेश कुमार भट्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. व प्रार्थना पत्र आदेश 6 निमय 17 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया जिस पर इस न्यायालय द्वारा सुनवाई कर आदेश दिनांक 06.02.2017 से "प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का एवं अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र जवाब को भी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में प्रार्थीगण शिवलाल पिता कन्हैयालाल जी धाकड, लोकेश कुमार पिता कन्हैयॉलाल धाकड निवासी चांद जी की खेडी, परेश कुमार पिता रमेशचन्द्र धाकड निवासी फतेहनगर , कैलाशचन्द्र पिता प्रभूलाल जी धाकड निवासी वृजपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा , सुभाषचन्द्र पिता लीलाशंकर धाकड निवासी शादी तह0 बेगूँ , सोहनलाल पिता बालूराम जी धाकड निवासी अनेड तह0 सिंगोली जिला नीमच (म.प्र.) एवं गिरीराज पिता शांतिलाल , शांतिलाल पिता लक्ष्मीनारायण , दुर्गादेवी पत्नी शांतिलाल , कृष्णगोपाल पिता शांतिलाल निवासी बस्सी को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाये जाने की स्वीकृती दी जाती है"। इसी दावा पत्रावली में नये पक्षकार बने प्रतिवादी संख्या 4 से लगायत 9 व 14 की ओर से जवाबदावा वाद पत्र का पेश किया गया जिसमें निवेदन किया कि वादपत्र की चरण संख्या 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण ने घीसीबाई व धापूबाई से जरिये पंजीकृत विकय विलेख के कय की हैं। यहकि वाद पत्र की चरण संख्यसा 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 4 का जवाब है कि हम प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी जरिये पंजीकृत विकय विलेख से कय की है एव कय दिनांक से ही हम प्रवितादीगण उक्त वर्णित आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी घीसीबाई व धापूबाई ने वाद वर्णित आराजी से उनका कब्जा व दखल हटाकर पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर विकय पंजीयन कराया है। उक्त भूमि में वादीगण का कोई हिस्सा नहीं था वादीगण जानबूझकर प्रतिवादी घीसी व धापू की सम्पत्ति को हडपना चाहते थे इसलिए उक्त गलत वाद पेश किया था वादीगण किसी प्रकार खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 2 घीसी के पक्ष में मृतक कन्हैयालाल ने वसीयतनामा पंजीयन कराया था एवं प्रतिवादी संख्या 2 घीसी जाईन्दा पुत्री होकर उक्त वर्णित भूमि पर प्रतिवादी घीसी व धापू काबिज थी। उक्त दोनो प्रतिवादी से वादीण्गा उक्त वर्णित आराजयीात जबरन छीनना चाहते थे इसलिए उक्त वाद पत्र पेश किया। वर्तमान में वाद वर्णित आराजी पर हम प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है वादीगण का कोई हक हिस्सा उक्त वर्णित आराजीयात में नहीं है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 6 गीत होकर अस्वीकार है। वादीगण का कोई हक हिस्सा उक्त वर्णित आराजी में नही ं है इसलिए वादीगण किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है एव हम प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विकय विलेख के कय की है एव कय दिनांक से ही हम काबिज हो काश्त कर रहे है ऐसी स्थिति में हम प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण का किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं। जवाबदावे के विशेष कथन में निवेदन इस प्रकार से किया है कि :–

1– यह कि हम प्रतिवदीगण ने वाद वर्णित कृपि आराजी दिनांक 17.02.2014 को जरिये पंजीकृत विकय दिलेख से प्रतिवादी धापू व घीसी से कय की है एव कय दिनांक से हम प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहे है एवं कानूनन विकय पत्र निरस्त कराये बगैर वादीगण किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

2– यह कि माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत वाद पत्र में वादीण्गा ने हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई दाद अनुतोष नहीं चाहा है एवं वर्तमान में हम भूमि के खातेदार काश्तकार है ऐसी स्थिति में भी वाद पत्र खारिज होने योग्य हैं।

अतः श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि वाद पत्र सव्यय खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रादी में प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 9 व 14 की ओर से दिनांक 22.07.2021 को उपरोक्त जदाब प्रस्तुत होने के पश्चात प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण की ओर से वादपत्र का प्रत्युत्तर (जवाब उल जवाब) निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है :–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

यह कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण ने माननीय न्यायालय आपके समक्ष दिनांक 22.07.2021को जवाबदावा प्रस्तुत किया है उसमें प्रतिवादीगण ने पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17.02.2014 को प्रतिवादी धापूबाई व घीसीबाई से क्रय किये जाने का उल्लेख कर अपना जवादावा प्रस्तुत किया है।

2— यह कि प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 व 14 ने यह भूमि वादपत्र के विचाराधीन रहते दिनांक 17.02.2014 को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के द्वारा मूल अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय जी बेगूं के निर्णय में हिस्सों में परिवर्तन करने के आदेश को गलत मानते हुए राजस्व अपील अधिकारी जी ने आदेश को निरस्त कर अपील को पुनः नये सीरे से सुनवाइ कर निर्णित करने हेतु प्रति प्रेषित की है अर्थात राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्णय से अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जी बेगूं का निर्णय बहाल रखा गया था। इस निर्णय के प्रभावी रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 एवं 14 ने भूमि घीसीबाई एवं धापुबाई से क्रय की हैं।

3— यह कि वादपत्र के विचाराधीन रहते यदि प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का विक्रय किया जाता है तो कानूनन उसे धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत अवैध माना जाता है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 एवं 14 की ओरसे जवाबदावा में अंकित विक्रय पत्र दिनांक 17.02.2014 वादीगण के हितों के मुकाबले अवैध दस्तावेज है जिसका इस वादपत्र के निर्णय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा न्यायालय इस विक्रय पत्र को अवैध संव्यवहार/ दस्तावेज घोषित किया जाना चाहिए।

अतः न्यायालय श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 एवं 14 की ओर से प्रस्तुत अपने जवाब वादपत्र में अंकित विक्रय विलेख दिनांक 17.02.2014 को धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम से बाधित मानते हुए अवैध विक्रय पत्र घोषित किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अनुसार वादीगण के पक्ष में वादपत्र की डिक्री प्रदान किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

पत्रावली में नये पक्षकार प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 व 14 बने होकर उनकी ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होने एवं अधिवकता वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे का जवाब उल जवाब प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त पत्रावली में नये सिरे से सुनवाई करने हेतु निम्न लिखित संशोधित तनकी पत्र पृथक से कायम करते हुए शामिल पत्रावली किया गया :—

1— आया ग्राम माधोपुर प0ह0 दौलतपुरा की आराजी नं0 230, 231, 233 से 238 रकबा 2.83 हैक्टर एवं ग्राम बेगूं की आराजी नं0 1900 रकबा 0.776 हैक्टर भूमि वादीगण की पैतृक आराजी है तथा मृतक देवीलाल पिता भूरा की खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है? वादी

2— आया वादपत्र के पैरा कमांक 2 व 3 में वर्णित आराजी पर मृतक देवीलाल पिता भूरा के पश्चात उसके उत्तराधिकारी मु0 वादी सं0 1 मृतक कन्हैयांलाल व वादी सं0 2 थे लेकिन गलती से खाता केवल कन्हैयांलाल पिता देवीलाल के नाम पर ही अंकित किया गया था? वादीगण

3— आया कन्हैयालाल खातेदार की मृत्यु दिनांक 26.12.93 को हो गई है तथा उसके उत्तराधिकारी वादिनी सं0 3 एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 है तथा मृतक देवीलाल की जायदाद में वादी सं0 1 का 1/3 वादी सं0 2 का 1/3 हिस्सा एवं तथा मृतक कन्हैयांलाल के उत्तराधिकारियों वादी सं0 3 एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 1/3हिस्सा दर्ज होना चाहिए व सभी 1/9—1/9 हिस्से के अधिकारी है। एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त वर्णित हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है? वादीगण

4— आया कन्हैयांलाल की मृत्यु पश्चात वादपत्र की चरण सं0 2 में अंकित आराजी का नामान्तरण सं0 1038 ग्राम बेगूं गलत होने के कारण निरस्त होने योग्य है? वादीगण

5— आया वाद पत्र की चरण सं0 2 व 3 में अंकित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का बंटवाडा कराने का वैद्य रूप से अधिकारी है? वादी

6— आया मृतक कन्हैयांलाल द्वारा मु0 घीसी के पक्ष में दिनांक 21.7.89 को की गई वसीयत पुश्तैनी जायदाद से सम्बन्धित होने के कारण अवैध एवं वादीगण के मुकाबले बेअसर है? वादीगण

7— आया ग्राम माधोपुर एवं ग्राम बेगूं की आराजी वाद पत्र के पैरा नं0 2 व 3 में अंकित का देवीलाल की मृत्यु पश्चात कन्हैयांलाल के नाम पर जायज तरीके से आया है एवं कन्हैयांलाल मृतक की मृत्यु के पश्चात भी नामान्तरण सही एवं न्यायसंगत खोले गये है? प्रतिवादीगण

8— आया वादीगण ने प्रतिवादीगण को परेशान करने व जमीन हडपने की नीयत के कारण गलत दावा पेश किया है? प्रतिवादीगण

9—आया मृतक कन्हैयांलाल ने अपने जीवनकाल में मौजा माधोपुर प0ह0 दौलतपुरा की वादपत्र की पैरा सं0 2 में वर्णित आराजी के प्रतिवादी सं0 2 घीसी के हक में वसीयतनामा तरमीम करा पंजीयन करा देने से मु0 घीसी को विरासत में प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

आया वादीगण की धारा 53–88 राज0टी0एक्ट के तहत वादपत्र लाने का अधिकार नहीं है? प्रति

आया वादीगण की धारा 53–88 रा0टी0एक्ट के तहत वादपत्र लाने का अधिकार नहीं है? प्रति

12– आया कि हम प्रतिवादीगण ने वाद वर्णित कृषि आराजी दिनांक 17.02.2014 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से प्रतिवादी धापू व घीसी से क्रय की है एवं क्रय दिनांक से हम प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहे है, कानूनन विक्रय पत्र निरस्त कराये बगैर वादीगण किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं कर सकते? माननीय न्यायालय आपके प्रस्तुत वाद पत्र में वादीगण ने हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद अनुतोष नहीं चाहा है एवं वर्तमान में हम भूमि के खातेदार काश्तकार है ऐसी स्थिति में भी वाद पत्र खारिज होने योग्य है? प्रति. 4 से 9 व 14

13– आया कि वाद पत्र के विचाराधीन रहते यदि प्रतिवादीगण सं0 4 लगायत 9 एवं 14 द्वारा भूमि प्रतिवादीगण से क्रय की गई है तो उसे धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत अवैध माना जाता है, प्रतिवादीगण के जवाब दावे में अंकित विक्रय पत्र दिनांक 17.02.2014 वादीगण के हितो के मुकाबले अवैध दस्तावेज है जिसका इस वादपत्र के निर्णय में कोई प्रभाव नहीं पडेगा तथा न्यायालय के द्वारा विक्रय पत्र को अवैध संव्यवहार/दस्तावेज घोषित किया जाना चाहिए? वादीगण

14– दादरसी ?

इस दावा पत्रावली में पूर्व में जो साक्ष्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ली गई थी उसमें मांगीबाई पिता देवीलाल गुर्जर,शांति पिता कन्हैयॉलाल गुर्जर ,गवाह नेगीचन्द्र पिता मदनलाल जी मेहर, धापूबाई पति कन्हैयालाल गूर्जर गवाह मांगीलाल पिता चुन्नीलाल जी माली, पृथ्वीराज पिता जगन्नाथ गुर्जर, रामचन्द्र पिता नारायण ब्राम्हण, सोहनलला पिता मगनलाल मंत्री, श्रीमति मूलीबाई पति देवीलला गूजर के बयान कलमबद्ध कराये गये थें। इस दावा पत्रावली में पूर्व में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे उसमें प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा माधोपुर प0ह0 दौलतपुरा की सम्वत 2049 से 52 की पेश की है जिसमें अंकित आराजी संख्या 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238 कीता–8 कुल रकबा 2.83 हैक्टर भूमि के खातेदार कन्हैयालाल पिता देवी गुजर सा0 सूलीमंगरा दर्ज थे तथा जमाबंदी में लालस्याही से नोट अंकित किया हुआ था कि नामा.सं. 84 विरासत से कन्हैयांलाल के बजाय शांति घीसी पिता कन्हैयालाल घीसी ना. वा.स. मूलीबाई दादी खुर्द जाति गुजर निवासी सूलीमंगरा खातेदार दर्ज की स्वीकृति एवं नामा.सं. 86 दिनांक 25.5.94खाता घीसी पिता कन्हैयांलाल ना.बा.सं. माता धापू बेवा कन्हैयालाल गुर्जर सा. सूलीमंगरा के नाम दर्ज हुआ। प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी मौजा बेगूँ प0ह0 बेगूँ संवत 2047 से 2050 तक में अंकित आराजी संख्या 1900 रकबा 0.779 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री कन्हैयांलाल पिता देवी गूर्जर सा.सूलीमंगरा खातेदार दर्ज है तथा लालस्याही से नोट अंकित किया हुआ है कि ई.नं. 1028 दिनांक 16.7.1994 से विरासत श्री कन्हैयालाल के बजाय शांती घीसी पिता कन्हैयालाल घीसी मु.धापु बेवा कन्हैयांलाल घीसी ना.बा.सारपरस्त माता धापू बाई बेवा कन्हैयालाल के नाम पर खोलने की स्वीकृति होने से दाखला लगाया गया। प्रदर्श–3 शोकपत्रिका कन्हैयालाल की थी, प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी संवत 2034 की पेश की जिसमें दर्ज मौजा बेगूँ की आराजी संख्या 1900 रकाब 4बीघा 16बिस्वा भूमि के खातेदार श्री देवी पिता भूरा कौम गूजर सा. सूलीमगरा खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–7 नकल नामान्तरण संख्या 84 जो कि कन्हैयांलाल की विरासत से खोला गया था ग्राम माधोपुर की आराजी कीता–8 रकबा 2.83 हैक्टर भूमि विरासत से शान्ती घीसी पिता कन्हैयांलाल घीसी ना.ब.स.मूलीबाई वादी खुद जाति गूजर के नाम खोला गया था। प्रदर्श–8 नकल नामा.सं. 27 जो कि मौजा माधोपुर की दर्ज आराजी जो कि देवी पिता भूरा गूजर के नाम थी उनकी मृत्यु के बाद कन्हैयांलाल पिता देवी गूर्जर के नाम पर खोला गया था। प्रदर्श–6 नकल नामान्तरण संख्या 86 जो कि विरासत कनहेयालाल से खोला गया की नकल है। नकल जमाबंदी मौजा माधोपुर प्रदर्श–5 है जिसमें दर्ज 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238 कीता–8 कुल रकबा 2.83 हैक्टर भूमि के खातेदार देवी पिता भूरा गूजर सा.सूलीमंगरा खातेदार दर्ज थे जमाबंदी मे नोट अंकित है कि ई.नं. 27 दिनाक 2.11.79 विरासत से खाता कन्हैयालाल पिता देवी गूजर निवासी सूलीमंगरा के नाम दर्ज किया गया। प्रदर्श–ए–1 वसीयतनामा निष्ठा पत्र जो कि कन्हैयांलाल पिता देवीलाल गूर्जर द्वारा पुत्री घीसी ना.बा. व मु. धापू के बबिनायत में है होने से उनके पक्ष में किया था। पत्रावली में श्रीमती मूलीबाई बेवा देवीलाल गुर्जर द्वारा वसीयत नामा (इच्छा पत्र) जारी किया है। इन सभी दस्तावेज का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया।

इस दावा पत्रावली में नये पक्षकार बनाये गये प्रतिवादी संख्या 4 से 9 तक व प्रतिवादी सं0 14 की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा माधोपुर की आराजी संख्या 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238 कीता–8 कुल रकबा 2.83 हैक्टर भूमि के खातेदार कैलाशचन्द्र पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. वृजपुरा तह. बिजौलिया, नरेशकुमार पुत्र रमेशचन्द्र हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. फतहनगर तह. बिजोलिया जिला भीलवाडा,

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

शकुमार पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा.चॉदजी की खेडी तह. बिजोलिया जिला भीलवाडा, शिवदायाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. चॉदजी की खेडी तह. बिजोलिया जिला भीलवाडा, शिवदयाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. चॉदजी की खेड तह0बिजोलिया, सुभाषचन्द्र पुत्र बालूनराम हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. सादी तह0 बेगूँ सोहनलला पुत्र बालूराम हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. अनेड तह. सिंगोली मध्यप्रदशे ये सभी वाद वर्णित भूमि के अब खातेदार दर्ज हो गये हैं।

पत्रावली में जो पंजीकृत विकय आराजी के दस्तावेज प्रस्तुत किए गये है उनमें घीसी पिता श्री कन्हैयॉलाल गुजर व धापु बेवा कन्हैयालाल गुजर निवासी सूलीमंगरा द्वारा अपने खाते की आराजी को श्री गिरीराज कोठारी पिता श्री शांतिलाल जी कोठारी निवासी बस्सी जिला चितौडगढ को व शांतिलाल कोठार पिता श्री लक्ष्मीनारायण कोठारी निवासी बस्सी व श्रीमति दुर्गादेवी कोठारी पत्नि श्री शांतिलाल जी कोठारी निवासी बस्सी व श्री कृष्ण गोपाल कोठारी पिता शां तिलाल कोठारी निवासी बस्सी को विकय किये जाने का दस्तावेज लगाया गया है। पत्रावली में प्रतिवादी सोहनलाल पिता बालूराम धाकड के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र लिये गये जिसमें शपथ प्रस्तुतकर्ता ने अपनी साक्ष्य (चीफ) में बताया कि शपथकर्ता सहित अन्य प्रतिवादीगण शिवदयाल लोकेश नरेश कैलाश सुभाष ने घीसी पिता कन्हैयालाल व धापू पत्नी कन्हैयांलाल से दिनांक 17.02.2014 को जरिये पंजीकृत विकय विलेख ग्राम माधोपुर की आराजी संख्या 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238 कीता–8 कुल रकवा 2.83 हैक्टर भूमि कय की थी। इन शपथपत्र प्रस्तुत कर्ता श्री सोहनलाल से वक्त जिरह अधिवकता वादीगण श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा द्वारा जिरह करते वक्त जवाब जो दिया गया उसमें बताया कि यह मेरी जानकारी में नही है कि हमारी कयसुदा आराजी संख्या 230, 231, 233 लगायत 238 तक की भूमि के सम्बन्ध में पहले से कोई वादपत्र चल रहा हो यह कहना सही है कि जमीन कय की गई है उनके केता शिवदयाल लोकेश नरेश कैलाश सुभाष है। यह कहना सही है कि हमारे द्वारा कय की उक्त भूमि के पश्चात नामान्तरण खुला उसका नामान्तरण नकल पेश नहीं की है अजखुद कहा कि जमाबन्दी की नकल पेश की है। यह कहना सही है कि खरीद सुदा भूमि के खरीदार अलगअलग गांव के निवासी है। यह कहना सही है कि खरीददारो में कोई भी बेगूँ एवं सुलीमंगरा का निवासी नहीं है। यह कहना सही है कि मूलदावा की अपील राजस्व मण्डल अजमेंर में विचाराधीन था उस वक्त हमने खरीदसुदा भूमि के पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था, पत्रावली यही बूँ में रिमाण्ड होकर आई है। हमे पक्षकार बनाये जाने का आवेदन स्वीकार हुआ है। यह मुझे जानकारी नहीं है कि हमारे द्वारा खरीदी हुई भूमि मूल रूप से देवीलाल पिता भूरा के नाम की हो अजखुद कहा कि हमने तो घीसी पुत्री कन्हैयालाल धापु पत्नि कन्हैयांलाल से खरीदी है। यह कहना सही है कि विचाराधीन वाद में धापु पत्नि कन्हैयालाल घीसी पुत्री कन्हैयालाल प्रतिवादी पक्षकार है यह मेरी जानकारी में नहीं है कि हमारे द्वारा कय की गई जमीन के सम्बन्ध में दिनांक 22.08.94 से वादपत्र विचाराधीन चल रहा हो। मेरा मुख्य व्यवसाय खेती है कभी कभी प्रोपर्टी व्ययसाय कर लेता हूँ। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि हमारे द्वारा कय की गई भूमि को पूर्व में गिरीराज कोठारी शांतिलाल दुर्गा देवी कृष्णगोपाल कोठारी ने कय की हो।

यह कहना सही है कि उक्त व्यक्तियो द्वारा जो विकय पत्र निष्पादित कराये है उनके विकेता भी घीसीबाई पिता कन्हैयालाल व धापूबाई पति कन्हैयालाल विकेता है। यह कहना सही है कि उक्त केतागण के विकय पत्र की प्रतिया पत्रावली में पेश है। यह कहना गलत है कि हमारे द्वारा कय की भूमि पर विकेता धापुबाई व धीसीबाई का कब्जा नहीं हो । यह कहना सही है कि धापूबाई बेवा कन्हैयालाल व घीसी पिता कन्हैयालाल से जो भूमि हमने कय की है वह इनकी पुश्तेनी भूमि है। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि धापुबाई के पति कन्हैयालाल के पिता का नाम देवीलाल हो।

इस प्रकार पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन एवं प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, पत्रावली में उभयपक्ष द्वारा बहस निवेदन हमारे समक्ष की है उसमें अधिवक्ता वादीगण द्वारा बताया गया कि वाद वर्णित आराजीयात वादीगण की पैतृक आराजी थी जो मृतक देवीलाल पिता भूरा के खातेदारी की आराजी थी इस आराजी को मृतक देवीलाल पिता भूरा के पश्चात उसके उत्तराधिकारी मु0 वादी सं0 1 मृतक कन्हैयांलाल व वादी सं0 2 के नाम आनी चाहिए थी लेकिन आराजी गलती से खाता केवल कन्हैयालाल पिता देवीलाल के नाम पर ही अंकित कर दिया गया। वादीगण द्वारा भूमि में अपना हक हिस्सा लेने व विधिवत विभाजन किये जाने हेतु यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत किया है। श्रीमान द्वारा इस वाद पत्र को दिनांक 11.03.2002 से स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिकी किया गया था।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

इससे असंतुष्ट होकर प्रथम अपील प्रतिवादीया धापूबाई द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौड़गढ के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के निर्णय में संशोधन करते हुए एवं अपील अपीलान्ट की स्वीकार की जाकर मौजा माधोपुर की आराजी में वादीया मूलीबाई का 1/3 हिस्सा, वादीया 1/3, वादी नं.03 शांतिबाई 1/9, तथा प्रतिवादी नं. 1 धापूबाई का 1/9, प्रतिवादी घीसीबाई का 1/9 हिस्से का संयुक्त खातेदार घोषित किया गया था।

बहस में अधिवक्ता वादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ के निर्णय दिनांक 23.09.2003 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर में की गई अपील के निर्णय की प्रति हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ के निर्णय दिनांक 23.09.2003 को निरस्त किये गये तथा इस प्रकरण को अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे उक्त प्रकरण में 6 माह के अन्दर सुनवाई कर तनकीवार विधिसम्मत निर्णय पारित करें। लेकिन इस इस न्यायालय की मूल पत्रावली जो कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चितौडगढ में थी के वहॉ प्रतिवादीगण संख्या 4 से 14 तक द्वारा विवादित भूमि के क्रय किये जाने पर एक प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाये जाने का माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के यहॉ प्रस्तुत किया जिन्होने उक्त पत्रावली को आपके न्यायालय में इस निर्देश के साथ भिजवाया कि प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में उभयपक्ष की पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। इस प्रकरण मे नए पक्षकार सृजित हुए है। मेरा श्रीमान से निवेदन है कि यह वादपत्र जब इस न्यायालय में व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के न्यायालय मे विचाराधीन था तो भूमि का विक्रय किया जाने पर टी.पी.एक्ट लागू होता है। जब मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तब किसी भी विवादग्रस्त आराजी को हस्तान्तरण किया जाना ट्रान्सफर प्रोपर्टी एक्ट के नियम से बाधित है । इस प्रकार किये गये विक्रय मुझ वादीगण के मुकाबले शुन्य व निरस्त किये जाने योग्य है।

इस सम्बन्ध में अधिवक्ता वादीगण द्वारा न्यायिक सिद्धान्त सुप्रिम कोर्ट के निर्णय चन्द्रभान बनाम नुख्यार सिंह वगे में ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट 1882 क.52 की प्रति प्रस्तुत की है। व अन्य निर्णय की भी छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की है। अतः निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जावें।

बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि इस वादपत्र की वाद वर्णित भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर खातेदारी से दर्ज है। उक्त भूमि कन्हैयॉलाल के फोत होने पर विरासत से प्रतिवादीगण के नाम पर नामान्तरित की गई थी। वादीगण द्वारा खोले गये नामान्तरण अपील प्रस्तुत नहीं की है। प्रतिवादीगण खातेदार है, जिन्होने वर्णित भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय किया है, जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की घोषणा करा पाने की वादीगण अधिकारी नहीं हैं। वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावें। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस के साथ ही न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 2003 (एस.सी.) पेज 731 व डी.एन.जे. 2020 (रेवेन्यु) पेज 145 की छायाप्रतिया प्रस्तुत की है जिनका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पत्रावली में बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– <u>तनकी नं0 1 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है, वादीगण द्वारा इस दावा पत्रावली में वादीगण द्वारा मौजा माधोपुर प0ह0 दौलतपुरा की आराजी संख्या 230, 231, 233 से 238 तक रकबा 2.83 हैक्टर एवं ग्राम बेगूँ की आराजी नं0 1900 रकबा 0.776 हैक्टर भूमि वादीगण की पैतृक आराजीयात है तथा मृतक देवीलाल पुत्र भूरा की खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा माधोपुर प0ह0 दौलतपुरा सं0 2049–2052 तक जो कि प्रदर्श– 1 का अवलोकन करने पर पाया कि वर्णित आराजी संख्या 230, 231, 233 से 238 तक की भूमि श्री कन्हैयॉलाल पिता देवी गुर्जर सा0 सूलीमंगरा के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकोर्ड है। जमाबंदी में लालस्याही ने नोट अंकित किया हुआ है कि नामा0 सं0 84विरासत से कन्हैयॉलाल की बजाय खाता शांति, घीसी पिता कन्हैयॉलाल घीसी ना.बा. सरपरस्त मूलीबाई दादी खुद जाति गुर्जर निवासी सूलीमंगरा खातेदार दर्ज की स्वीकृति अंकित है। इस प्रकार लालस्याही से अंकित है कि नामा0सं0 86 दिनांक 25.05.94 खाता श्री घीसी पिता कन्हैयालाल ना.बा.सं. माता धापू बेवा कन्हैया गुजर सा.सूलीमंगरा के नाम दर्ज हुआ। प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी मौजा बेगूँ सं0 2047 से 2050 तक में दर्ज आराजी संख्या 1900 रकबा 0.776 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री कन्हैयॉलाल पिता देवी गुजर दर्ज है तथा जमाबंदी में लालस्याही से नोट अंकित है कि इन्तकाल नं0 1035 दिनांक 13.07.1994 से विरासत से श्री कन्हैयॉलाल के बजाय शांति घीसी पिता कन्हैयॉलाल मु0 धापू बेवा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

कन्हैयॉलाल धीसी ना0बा0 सरपरस्त माता धापू बेवा कन्हैयॉलाल के नाम पर खोलने की स्वीकृति होने से इंकार लगाया। पत्रावली मे प्रस्तुत प्रदर्श– 3 शोक पत्रिका कन्हैयॉलाल की है जिसका अवलोकन किया। प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी मौजा बेगूँ सं0 2031 से 2034 तक में दर्ज आराजी संख्या 1900 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि के खातेदार श्री देवी पिता भूरा गुर्जर निवासी सूलीमंगरा दर्ज अंति है। इसी प्रकार प्रदर्श – 5 नकल जमाबंदी मौजा माधोपुर की सं0 2032 से 2035 तक में दर्ज आराजी संख्या 230, 231, 233 से 238 तक रकबा 2.83 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री देवी पिता भूरा गुर्जर सा. सूलीमंगरा दर्ज है तथा जमाबंदी में लालस्याही से नोट अंकित है कि इन्तकाल नं0 26 दिनांक 02.11.1979 विरासत से खाता कन्हैयॉलाल पिता देवी गुर्जर के नाम दर्ज करने की मंजुरी हुई। इन दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि वादी सं01 के पति देवी व वादी सं02 मांगीबाई के पिता व वादी सं0 3 शांतिबाई के दादा देवी की कृषि आराजीयात थी जो कि वादी सं03 की पैतृक आराजी है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में बताया कि यह वाद वर्णित कृषि आराजीयात जो कि पुश्तैनी कृषि आराजीयात की वसीयत नहीं की जा सकती है जो कि कन्हैयॉलाल पुत्र देवीलाल गुर्जर ने अपनी पुत्री धीसी के नाम पर निष्पादित की है जो कि पत्रावली में प्रदर्श–ए 1 की हुई है, जिस पर दस्तखत खाना के ए टू बी अंकित होकर वसीयत पर गवाह रामचन्द्र पिता नारायण व सोहनलाल पिता भारमल मंत्री के हस्ताखर है जो कि ई से डी व जी से एच तक अंकित किये हुए है। इस प्रकार यह आराजी वादी सं. 3 की पुश्तैनी आराजी होती है किन्तु खातेदार कन्हैयालाल ने अपनी वसीयत में अंकित किया है कि केवल एक पुत्र धीसी है हमारी विनम्र राय से यह कृषि आराजीयात जो कि पूर्व में देवी गुर्जर के नाम पर दर्ज थी उनकी मृत्यु के पश्चात उनके एक मात्र पुत्र कन्हैयॉलाल के नाम पर दर्ज की गई, क्यो कि उस समय महिलाओं के नाम पर भूमि दर्ज किये जाने का प्रावधान नहीं था, जैसा कि अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त जो डी.एन.जे. (रेवेन्यु)2019 पृष्ट सं. 148 पेश की है, जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों का अधिकार धारा 6 में वर्ष 2005 में संशोधन किया गया है जिसमें पुत्रियों का अधिकार शामिल किया है। इस प्रकार जब मूल खातेदार देवीगुर्जर के खाते की भूमि जो कि एक मात्र उनके पुत्र कन्हैयॉलाल को विरासत से प्राप्त हुई जिनकी मृत्यु के पश्चात भूमि विरासत से धीसीबाई के नाम पर खोला गया है जो कि नाबालिग थी जिसकी सरपरस्त उनकी माता धापूबाई थी। इस प्रकार वादीगण द्वारा विरासत से खोले गये धीसीबाई के नाम के नामान्तरण संख्या 86 जो कि दिनांक 25.05.1994 को प्रमाणित किया गया है के विरूद्ध नियमानुसार अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। जो नहीं की गई। इस पत्रावली मे प्रदर्श–6 नकल नामान्तरण संख्या 86 की प्रस्तुत की है उक्त नामान्तरण विरासत से कन्हैयॉलाल फोत होने से श्री धीसी पिता कन्हैयांलाल ना0बा0 संरक्षक माता धापू बेवा कन्हैयालाल गुजर के नाम पर खातेदारी से दर्ज है यह नामान्तरण तहसीलदार बेगूँ द्वारा दिनांक 25.05.1994 को प्रमाणित किया गया है। इस इन्तकाल के अवलोकन से यह पाया गया कि यह विरासत का नामान्तरण जो खोला गया है वह कन्हैयॉलाल की एक पुत्री धीसी के नाम पर ही खोला गया है इस इन्तकाल पर कही भी वादी सं. 3 शांतिबाई पुत्री धीसी का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इससे पूर्व जो प्रदर्श–7 नकल नामान्तरण संख्या 84 खोला गया वह भी विरासत कन्हैयॉलाल फोत होने से खोला गया है जो कि शांति धीसी पिता कन्हैयॉलाल धीसी ना0बा0स0 माता मूलीबाई दादी खुद जाती गुर्जर सा0 सूलीमंगरा खातेदार का अंकन किया गया है। यह नामान्तरण तहसीलदार बेगूँ द्वारा 23.12.1993 को प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार प्रथम नामान्तरण विरासत कन्हैयॉलाल का दोनो पुत्रीयों के नाम पर खोला गया एवं दूसरा नामान्तरण जो कि केवल धीसीबाई जो कि नाबालिग थी के नाम पर धीसी माता धापूबाई को संरक्षक बनाते हुए खोला गया है, यहॉ यह उल्लेख किया जाना हम उचित समझते है कि शांतिबाई जो कि कन्हैयॉलाल की पुत्री इन्तकाल सं0 84 में दर्शाई गई है वह बालिग थी। जहॉ तक पैतृक सम्पत्ति में महिलाओं के अधिकार का प्रश्न है वह प्रावधान वर्ष 2005 से लागू किया गया था, जबकि धीसीबाई ना0बा0 के नाम पर द्वितीय इन्तकाल मृतक खातेदार कन्हैयॉलाल की ईच्छा से उनके नाम पर खोला गया हो, इसलिए कन्हैयॉलाल द्वारा एक वसीयत पत्र अपनी नाबालिग पुत्री के नाम पर निष्पादित भी की थी। पैतृक सम्पत्ति पर महिलाओं के अधिकार का जो प्रश्न है जैसा कि उपर अंकित किया है कि यह कानूनन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 में लागू किया गया था, जबकि ग्रामीण अंचल में प्रायः ऐसी मानसिकता रहती है कि पिता द्वारा अपनी पुत्री के विवाह के समय जो भी देना होता है वह उसे दे दिया जाता है। लेकिन यहॉ जो विरासत का इन्तकाल खोला गया है वह कन्हैयॉलाल की नाबालिग पुत्री के नाम पर खोला गया है। जहॉ तक प्रश्न धीसीबाई के पक्ष में खोले गये नामान्तरण संख्या 86 का है वह तहसीलदार बेगूँ द्वारा पूर्णतया जॉच करते हुए ही खोला गया है क्यो कि दोनो ही नामान्तरण कमशः 84 व 86 एक ही तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किये हुए है। प्रदर्श–8 भी नकल नामान्तरण संख्या 27 की है जो कि विरासत से खोला गया है यह इन्तकाल देवी पिता भूरा गुर्जर के फोत होने पर उनके एकमात्र पुत्र कन्हैयॉलाल के नाम पर खोला गया है, इस नामान्तरण संख्या 27 में देवी गुर्जर की पुत्री मांगीबाई का नाम

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

वक्त सम्पत्ति में महिलाओं को अधिकार नहीं होने से अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त प्रदर्श दस्तावेज का हमारे द्वारा गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। जैसा कि कानून में प्रावधान है कि न्यायालय की विचाराधीन पत्रावली में प्रदर्श दस्तावेज के आधार पर ही निर्णय किया जाना होता है लेकिन पत्रावली में प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज यदि वह प्रदर्श नहीं किया गया भी है तथा प्रस्तुत किया है तो उसका उल्लेख करना हम उचित समझते है क्यो कि इससे निर्णय के तथ्यों में स्पष्टता व पारदर्शिता रहती है । पत्रावली में एक वसीयत नामा ईच्छा पत्र जो कि श्रीमति मूलीबाई वादीया द्वारा अपनी पुत्री मांगीबाई व शांतिबाई के नाम पर वर्णित कृषि आराजीयात दिये जाने के सम्बन्ध में की गई है जो कि प्रदर्श नहीं है साथ ही मूलीबाई के खाते में जब कोई कृषि आराजी नहीं थी तो उन्हें इस प्रकार की वसीयत किए जाने का कोई अधिकार ही नहीं था। इसी प्रकार इस दावा पत्रावली में विक्रय पत्र जो कि घीसीबाई व धापूबाई द्वारा श्री गिरीराज कोठारी व शांतिलाल कौठारी व श्रीमति दुर्गादेवी व कृष्णगोपाल कोठारी के नाम पर बेची गई आराजी के सम्बन्ध में है जो कि प्रदर्श ही नहीं है ना ही केता कभी इस न्यायालय मे उपस्थित हुए है ना ही इस प्रकरण कभी कोई पक्षकार बनने हेतु आवेदन ही किया है, यहॉ उल्लेख किया जाना उचित है कि अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 4 से 9 तक को पक्षकार बनाए जाने का अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के जवाब में इन प्रतिवादीगण संख्या 10 से 14तक का नाम अंकित किया है जिससे न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 तक एवं प्रतिवादीगण संख्या 10 से 14 तक को पक्षकार बनाए जाकर इस दावा पत्रावली के संशोधित टाईटल में दर्शाए गए है लेकिन प्रतिवादी संख्या 10 से 14 तक की ओर से कोई पक्षकार बनाए जाने के लिए विधिवत प्रार्थना पत्र इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है ना ही इन प्रतिवादी सं0 10 से 14 की ओर से कोई जवाब आदि प्रस्तुत किया है साथ दावा पत्रावली में प्रस्तुत पंजीकृत विक्रयपत्र श्री गिरीराज कोठारी व शांतिलाल कौठारी व श्रीमति दुर्गादेवी व कृष्णगोपाल कोठारी के नाम पर बेची गई आराजी के सम्बन्ध में है जो कि प्रदर्श नहीं कराया गया है तो नियमानुसार ऐसे अप्रदर्श दस्तावेज का कोई महत्व नहीं है।

वर्णित कृषि भूमि की वर्तमान स्थिती पर मनन करने पर पाया कि इस दावा पत्रावली में नकल जमाबंदी ग्राम माधोपुर की सम्वत 2078 की खाता संख्या 106 की पेश की है जिसमें अंकित आराजी संख्या 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238 कीता– 8 कुल रकबा 2.8300 हैक्टर भूमि के खातेदार कैलाशचन्द्र पुत्र प्रभुलाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. बृजपुरा तह. बिजोलिया जिला भीलवाडा , नरेशकुमार पुत्र रमेशचन्द्र हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. फतहनगर तह. बिजोलिया जिला भीलवाडा, लोकेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. चांद जी की खेडी तह. बिजोलिया जिला भीलवाडा , शिवदयाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. चांद जी की खेडी तह. बिजोलिया जिला भीलवाडा, सुभाषचन्द्र पुत्र बालूराम हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. शादी खातेदार, सोहनलाल पुत्र बालूराम हिंस्सा 1/6 जाति धाकड सा. अनेड तह. सिंगोली (म.प्र.) खातेदार के नाम पर अंकित है। अर्थात वर्तमान में प्रतिवादीया घीसीबाई मौजा माधोपुर की वाद वर्णित कृषि आराजीयात की खातेदार नहीं है। इस प्रकार यह वाद वर्णित कृषि आराजीयात जो कि वादी सं0 1 के स्व.पति व वादी सं. 2 के पिता एवं वादी सं. 3 के दादा की कृषि आराजी थी लेकिन वर्ष 2005 पूर्व पैत्रिक सम्पत्ति में महिलाओं के नाम लगाये जाने का प्रावधान नहीं होने से यह आराजी मृतक देवी के एक मात्र पुत्र कन्हैयॉलाल के नाम पर दर्ज की गई तथा उनकी मृत्यु के पश्चात यह आराजी उनकी पुत्री घीसीबाई के नाम दर्ज की गई, लेकिन वर्तमान में यह आराजी विक्रय किये जाने से प्रतिवादी संख्या 4 से 9 तक के नाम पर ही अंकित है। इस प्रकार यह तनकी नं0 1 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

2– तनकी नं0 2 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण का कथन है कि वर्णित आराजी पर मृतक देवीलाल पिता भूरा के पश्चात उसके उत्तराधिकारी मु0 वादी सं0 1 मृतक कन्हैयांलाल व वादी सं0 2 थे लेकिन गलती से खाता केवल कन्हैयालाल पिता देवीलाल के नाम पर ही अंकित किया गया था, जैसा कि हमारे द्वारा इस दावा पत्रावली के सभी प्रदर्श दस्तावेज का उल्लेख तनकी नं0 1 में करते हुए निर्णय किया है जैसा कि प्रदर्श– 8 नकल नामान्तरण संख्या 27 है जो कि विरासत से खोला गया है। यह नामान्तरण देवी पिता भूरा के फोत होने पर उनके पुत्र कन्हैयॉलाल पिता देवी के नाम पर खोला गया था, जहॉ तक वादीगण यह इन्तकाल गलत खोले जाने का प्रश्न है, जो सही नहीं है क्यो कि महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार वर्ष 2005 से दिये गये है, पहले सम्पत्ति में नारेना वारिस को ही अधिकार था इसलिए मूलीबाई व उनकी पुत्री मांगीबाई का नाम नहीं लगाया गया है। यदि इस इन्तकाल संख्या 27 से वादीगण की नाराजगी थी तो उसी वक्त इसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो नहीं की गई। इस प्रकार यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती हैं।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

तनकी नं0 3 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी का हैं। इस दावा पत्रावली में इस न्यायालय द्वारा ही पूर्व में इस वाद पत्र को दिनांक 11.03.2002 को वाद वादीगण का स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री इस आशय से किया गया कि मौजा माधोपुर प0ह0 दौलतपुरा की आराजी संख्या 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238 कीता–8 कुल रकबा 2.83 हैक्टर भूमि तथा मौजा बेगूँ कि आराजी संख्या 1900 रकबा 0.776 हैक्टर भूमि में मूलीबाई का 5/12, मांगीबाई का 1/3, शांतिबाई को 1/12 हिस्से का तथा प्रतिवादीया धापूबाई को 1/12, व घीसीबाई को 1/12 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए विभाजन हेतु तहसीलदार बेगूँ को लिखा जाने का निर्णय किया गया था लेकिन उक्त निर्णय विरूद्ध अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चितौडगढ के न्यायालय में किए जाने पर उनके निर्णय दिनांक 25.09.2003 से अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.03.2002 में संशोधन किया जाकर उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीया मूलीबाई का 1/3, वादीया मांगीबाई 1/3, वादीया शांतिबाई का 1/9 तथा प्रतिवादी धापूबाइ 1/9, घीसीबाई का 1/9 हक हिस्से से संयुक्त खातेदार घोषित करते हुए विभाजन हेतु निर्देशित किया गया जिसकी भी द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर किया गया जिनके निर्णय दिनांक 25.11.2013 से उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ के निर्णय दिनांक 23.09.2003 निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को इस निद्रेश के साथ प्रतिप्रेपित किया गया कि उक्त प्रकरण मे 6 माह के अन्दर सुनवाई कर तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। लेकिन इस दावे में प्रतिवादी सं. 4 से 9 तक को पक्षकार बनाए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर यह मूल दावा पत्रावली निर्णय हेतु इस न्यायालय को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ द्वारा भिजवाया गया है। इस कारण इस दावा पत्रावली में सभी पक्षकारान को सुना जाकर निर्णय किया जारहा है। जहॉ तक कन्हैयॉलाल की मृत्यु दिनांक 26.12.1993 को हाना बताया है वह सही है लेकिन वादीगण इन आराजीयात में अपने नाम घोषणा करा पाने के अधिकारी होने का प्रश्न है वह गलत है, क्यो कि वर्तमान में भूमि प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 तक नाम पर खातेदारी हक से दर्ज अंकित कर दी गई है, जो कि पंजीकृत विक्रय विलेख से उनके नाम पर आई है। जब तक पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त नही कर दिया जाता है तब तक वादीगण किसी प्रकार की कोई राहत पाने का अधिकारी कानूनन नहीं होते है। विद्धवान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में हमारे समक्ष इस प्रकार के हस्तान्तरण को टी.पी. एक्ट में बाधित बताते हुए दावा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया था लेकिन हमारी विनम्र राय से जब वर्णित भूमि का बेचान होकर प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 को स्वीकार कर पक्षकार बनाया गया तो वादीगण द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत क्यो नहीं की गई। जहॉ तक इस आवेदन आदेश 1 नियम 10 के प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न है तो उसी वक्त वादीगण क्रयशुदा भूमि के विरूद्ध पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए थी वह भी नहीं की गई। इस प्रकार वादीगण इस भूमि में अपने हक हिस्से की घोषणा करा पाने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। तनकी नं0 3 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

4– तनकी नं0 4 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण ने कथन किया है कि कन्हैयांलाल की मृत्यु पश्चात वादपत्र की चरण सं0 2 में अंकित आराजी का नामान्तरण सं0 1038 ग्राम बेगूँ गलत होने के कारण निरस्त होने योग्य बताया है, पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा बेगूँ सम्वत 2047 से 50 में दर्ज आराजी संख्या 1900 रकबा 0.776 हैक्टर भूमि में एक नोट अंकित किया हुआ है जिसमें ई.नं. 1038 दिनांक 16.7.1994 से विरासत से श्री कन्हैयांलाल के बजाय शांति घीसी पिता कन्हैयॉलाल मु. धापू बेवा कन्हैयांलाल घीसी ना.बा. सरपरस्त माता धापूबाई बेवा कन्हैयांलाल के नाम पर दर्ज करने की स्वीकृति होने से दाखला लगाया। इस दावा पत्रावली मे मौजा माधोपुर की कृषि आराजी के सम्बन्ध में खोले गये नामान्तरण संख्या 84 जो कि कन्हैयालाल की मृत्यु पर उनकी विरासत शांति घीसी पिता कन्हैयालाल घीसी ना.बा. स. मूलीबाई दादी खुद जाति गुर्जर के नाम पर खोला गया था उसके बाद इस मौजा माधोपुर की कृषि आराजीयात का कन्हैयॉलाल फोत होने पर विरासत से नामान्तरण संख्या 86 खोला गया जो कि श्री घीसी पिता कन्हैयालाल ना.बा. सरपरस्त माता धापू बेवा कन्हैयांलाल गुर्जर सा. सूलीमंगरा खातेदार के नाम पर खोला गया था। चूँकि पैतृक कृषि भूमियों में लडकियों को अधिकार वर्ष 2005 के बाद से लागू किया गया है, जबकि यह इन्तकाल कन्हैयॉलाल की मृत्यु के बाद वर्ष 1994 में ही खोला जा चुका था, जहॉ तक नामान्तरण संख्या 1038 के निरस्त होने का प्रश्न है तो जिस प्रकार मौजा माधोपुर की कृषि भूमि का पूर्व में खोला गया इन्तकाल संख्या 84 जो कि कन्हैयॉलाल की पुत्रियों शांति व

राजस्व अपील अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

के नाम पर खोला गया तथा बाद में केवल इन्तकाल संख्या 86 जो कि केवल घीसीबाई के नाम पर गया था, क्यो कि पूर्व के इन्तकाल के बाद कन्हैयॉलाल के द्वारा की गई विरासत आदि को ध्यान में रखा जाकर यह इन्तकाल खोला गया था तो वादी को इस नामान्तरण संख्या 1038 को भी निरस्त कराये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी जो उन्होने नहीं की है। इस प्रकार तनकी नं0 4 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

5– तनकी नं0 5 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी का है वादगण वाद वर्णित कृषि आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का बंटवाडा कराने के वैद्य अधिकारी बताते है जबकि न्यायालय में उपर वर्णित तनकी नं0 1 में अंकित किया है कि मौजा माधोपुर की कृषि आराजी संख्या 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238 कीता– 8 कुल रकबा 2.8300 हैक्टर भूमि के खातेदार कैलाशचन्द्र पुत्र प्रभुलाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. बृजपुरा तह. बिजोलिया जिला भीलवाडा , नरेशकुमार पुत्र रमेशचन्द्र हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. फतहनगर तह. बिजोलिया जिला भीलवाडा, लोकेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. चांद जी की खेडी तह. बिजोलिया जिला भीलवाडा , शिवदयाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. चांद जी की खेडी तह. बिजोलिया जिला भीलवाडा, सुभाषचन्द्र पुत्र बालूराम हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. शादी खातेदार , सोहनलाल पुत्र वालूराम हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. अनेड तह. सिंगोली (म.प्र.) खातेदार के नाम पर अंकित है, यानि अब यह आराजी वर्तमान में न तो वादीगण की न ही प्रतिवादीगण की आराजी है यह आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 4 से 9 तक की कृषि आराजी है, जिसके वे खातेदार है। वादीगण इस आराजी का विभाजन करा पाने के अब अधिकारी नहीं है। इस प्रकार यह तनकी नं0 5 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

6– तनकी नं0 6 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार भी वादीगण का है, वादीगण ने कथन किया है कि कन्हैयालाल द्वारा मु0 घीसी के पक्ष में दिनांक 27.7.89 को की गई वसीयत पुश्तैनी जायदाद से सम्बन्धित होने के कारण अवैध एवं वादीगण के मुकाबले बेअसर है, कानून हम इस बात से पूर्णतया सहमत है कि पुश्तैनी जायदाद की वसीयत नही की जा सकती है लेकिन यहॉ पुश्तैनी कृषि भूमि का प्रश्न है तो यह वाद वर्णित कृषि भूमि पूर्व में खातेदार देवी गुर्जर थे उनकी मृत्यु के बाद यह कृषि भूमि उनके एक मात्र पुत्र कन्हैयॉलाल के नाम पर विरासत से वर्ष 11979–80 में दर्ज की गई, इसका मुख्य कारण यह रहा है कि उस वक्त महिलाओं के नाम भूमियों में लगाये जाने का प्रावधान नहीं था, इसलिए कन्हैयॉलाल की बहिन मांगीबाई का एवं उनकी माता का नाम नही लगाया गया, यदि इन्हें कन्हैयॉलाल के नाम पर खोले गये विरासत के इन्तकाल से आपत्ति थी तो नियमानुसार उसी वक्त अपील प्रस्तुत की जानी थी लेकिन नहीं की गई, अब कन्हैयॉलाल की मृत्यु के पश्चात जो विरासत से इन्तकाल खोला गया उसमे प्रथम तो ग्राम माधोपुर की कृषि आराजी का खोला गया जो इन्तकाल नं0 84 खोला गया जिसमें कन्हैयॉलाल की दोनो पुत्रीयो शान्ती घीसी पिता कन्हैयालाल घीसी ना.बा. स0 मूलीबाई दादी खुद जाती गुर्जर अंकित किया जो दिनाक 23.12.93 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया, इसके बाद ही दिनांक 25.5.94 को कन्हैयांलाल की विरासत का इन्तकाल सं. 86 खोला गया जो कि श्री घीसी पिता कन्हैयांलाल ना0ब0 स0 माता धापू बेदा कन्हैयालाल गुर्जर के नाम पर खोला जाकर प्रमाणित किया है, पुनः खोले गये इस नामान्तरण संख्या 86 का खोले जाने का प्रश्न है यह इन्तकाल किसी वसीयत के आधार पर नहीं खोला जाकर विरासत से ही खोला गया है, वर्तमान में भी मौजा माधोपुर की समस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 के नाम पर खातेदार हक से दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार पत्रावली में कन्हैयालाल द्वारा की गई वसीयत दिनांक 27.7.89 का कोई असर इस वाद वर्णित कृषि भूमि पर होना या नहीं होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार यह तनकी नं0 6 विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

7– तनकी नं0 7 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है, "ग्राम माधोपुर एवं ग्राम बेगूं की आराजी जो वाद पत्र के पैरा नं0 2 व 3 मे अंकित है का देवीलाल की मृत्यु के पश्चात कन्हैयॉलाल के नाम पर जायज तरीके से आया है एवं कन्हैयॉलाल की मृत्यु के पश्चात भी नामान्तरण सही एवं न्यायसंगत खोले गये है, जैसा कि हमारे द्वारा तनकी नं0 1 में इस दावा पत्रावली के सभी दस्तावेज का उल्लेख करते हुए उनके गुणावगुण के आधार पर तनकी नं0 1 का निर्णय किया गया है, जैसा कि पत्रावली में प्रस्तुत देवी गुर्जर की मृत्यु के पश्चात खोले गये नामान्तरण संख्या 27 का प्रश्न है यह कानूनन सही खोला गया है क्यो

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

वह इन्तकाल नं0 27 वर्ष 1979–80 में खोला जाकर निर्णित किया गया है, उस वक्त पुश्तैनी जायदाद महिलाओं का नाम लगाये जाने का प्रावधान नही था, यह अधिकार वर्ष 2005 के बाद आया है। साथ ही कन्हैयॉलाल की मृत्यु के पश्चात जो इन्तकाल खोला गया है वह मौजा माधोपुर की कृषि आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में इन्तकाल नं0 84 खोला गया जिसमें कन्हैयॉलाल की दोनो पुत्रीयो शान्ती धीरी पिता कन्हैयालाल धीरी ना.बा. स0 मूलीबाई दादी खुद जाती गुर्जर अंकित किया जो दिनांक 23.12.93 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया, इसके बाद ही दिनांक 25.5.94 को कन्हैयांलाल की विरासत का इन्तकाल सं. 86 खोला गया जो कि श्री धीरी पिता कन्हैयांलाल ना0ब0 स0 माता धापू बेवा कन्हैयालाल गुर्जर के नाम पर खोला जाकर प्रमाणित किया है। साथ ही ग्राम बेगूँ की कृषि भूमि सम्बन्धी जो इन्तकाल संख्या 1038 जो कि जमाबंदी में नोट के रूप में अंकित है उसमें शांति व धीरी का नाम दर्ज है। इस प्रकार खोले गये इन्तकाल हमारी विनम्र राय से सही खोले गये है क्यो कि लडकियों को सम्पति में अधिकार बाद में प्राप्त हुए है लेकिन यहॉ कन्हैयॉलाल के कोई लडका (पुत्र) नहीं होने से उनकी पुत्री के नाम इन्तकाल खोला गया है। जो सही है, विरासत से खोले गये किसी भी इन्तकाल के विरूद्ध वादीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई अपील भी प्रस्तुत नही की गई हैं। इस प्रकार यह तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

8– तनकी नं0 8 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है, प्रतिवादीगण का कथन है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को परेशान करने व जगीन हडपने की नीयत के कारण गलत दावा पेश किया है, हमारी विनम्र राय से किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होता है, वादीगण द्वारा अपने अधिकार प्राप्त करने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण का कथन कि उन्हें परेशान किये जाने हेतु गलत दावा पेश किया है, प्रतिवादीगण का कथन सिद्ध नहीं होता है,क्यो कि दावा न्यायालय द्वारा । यह तनकी नं0 8 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

9– तनकी नं0 9 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है। पत्रावली में हमारे द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन भी किया गया है, कन्हैयॉलाल ने जो वसीयतनामा धीसी बाई के नाम पर निष्पादित किया है वह पंजीकृत नहीं होकर शपथ आयुक्त से तस्दीक किया हुआ है ना कि पंजीकृत कराया गया है, जहॉ तक धीसी बाई के पक्ष में खोला गया नामान्तरण संख्या 86 का प्रश्न है वह सही खोला गया है यह नामान्तरण भी विरासत से ही खोला गया है, वसीयत से किसी प्रकार से कोई नामान्तरण नहीं खोला गया है, इस प्रकार धीसीबाई को जो मौजा माधोपुर प0ह0 दौलतपुरा की कृषि आराजी प्राप्त हुई वह विरासत से प्राप्त हुई है ना कि वसीयत से। इस प्रकार यह तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती हैं।

10– तनकी नं0 10 का निर्णय ::–

इस तनकी को भी सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादीगण को धारा 53 व 88 रा0टी0एक्ट में वादपत्र लाने का अधिकार नही है, जैसा कि हमारे द्वारा तनकी न. 8 में उल्लेख किया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होता है, वादीगण द्वारा इस न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53 व 88 के तहत प्रस्तुत किया है जो कि कृषि आराजी में घोषणा व विभाजन का है, जहॉ तक वादीगण को प्रश्नगत भूमि में अपने नाम पर कृषि आराजी की घोषणा कराने का प्रश्न है, वह तनकी नं0 1 के निर्णय अनुसार सिद्ध नही होता है क्यो कि इस दावे में दर्ज कृषि भूमि के जो विरासत से इन्तकाल खोले गये है वह सही खोले गये है। वादीगण द्वारा विरासत से खोले गये किसी भी इन्तकाल के विरूद्ध अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है, सीधे ही वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जबकि पूर्व में पुश्तैनी जायदाद में महिलाओं को अधिकार नहीं होने से कन्हैयॉलाल के पक्ष में खोला गया इन्तकाल व उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत से खोला गया इन्तकाल सही था, इस प्रकार तनकी नं0 10 बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

11– तनकी नं0 11 का निर्णय ::–

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में दावा प्रस्तुत किया जाने का वाद कारण दिनांक 26.12.93 को मृतक कन्हैयॉलाल की मृत्यु होने के पश्चात वादीगण ने प्रतिवादीगण को न्यायालय में चलकर अपने अपने हक व अधिकारो के अनुसार जमीन का अंकन कराने व बटवारा कराने के लिए कहने व उनके मना करने से उत्पन्न होना अंकित किया है, हमारे द्वारा सभी बयानो का अवलोकन भी किया गया है, यह तथ्य

(उपखण्ड अधिकारी)

...ण का स्पष्ट नहीं होता है कि उन्होने दिनांक 26.12.93 को प्रतिवादीगण से हिस्सा कृषि आराजी में ... व विभाजन कराने की किस के सामने कहा, तथा उन्होने कब इन्कार किया है, वादपत्र की कलम ...ख्या 4 में कन्हैयालाल की मृत्यु होना भी दिनांक 26.12.93 को अंकित किया हुआ है, तो क्या मृत्यु के दिन ही वादीगण ने प्रतिवादीगण को जमीन में हिस्से लगाने की कहा गया था, जबकि परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो वह 30 दिन दुख का माहौल रहता है। वादीगण का वादकारण अपने आप में गलत है। वाद कारण सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार यह तनकी नं0 11 बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

12– तनकी नं0 12 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण का कथन है कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात दिनांक 17.02.2014 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से प्रतिवादी धापू व धीसी से क्रय की है एवं क्रय दिनांक से हम प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहे है, कानूनन विक्रय पत्र निरस्त कराये बगैर वादीगण किसी प्रकार की राहत प्राप्त नही कर सकते है। माननीय न्यायालय आपके प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण ने हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई दाद अनुतोष नहीं चाहा है एवं वर्तमान मे हम भूमि के खातेदार काश्तकार है ऐसी स्थिति में भी वाद पत्र खारिज होने योग्य है? पत्रावली मे प्रतिवादीगण के इस कथन से हम पूर्णतया सहमत है, जैसा कि हमारे द्वारा तनकी नं0 1 के निर्णय में सपष्ट किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 से 9 तक को इस दावा पत्रावली में जरिये उनके प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. को स्वीकार करते हुए पक्षकार बनाया गया है, इन प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि मौजा माधोपुर की जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय किये जाने से पक्षकार बनाया है हालॉकि इन प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली में पंजीकृत विक्रय विलेख की प्रति प्रस्तुत नहीं की है किन्तु नकल जमाबंदी मौजा माधोपुर प0ह0 दौलतपुरा सं. 2078 की प्रस्तुत की है जिसनें दर्ज आराजी संख्या 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238 कीता– 8 कुल रकबा 2.8300 हैक्टर भूमि के खातेदार कैलाशचन्द्र पुत्र प्रभुलाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. बृजपुरा तह. बिजोलिया जिला भीलवाडा , नरेशकुमार पुत्र रमेशचन्द्र हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. फतहनगर तह. बिजोलिया जिला भीलवाडा, लोकेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. चांद जी की खेडी तह. बिजोलिया जिला भीलवाडा , शिवदयाल पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. चांद जी की खेडी तह. बिजोलिया जिला भीलवाडा, सुभाषचन्द्र पुत्र बालूराम हिस्सा 1/6 जाति धाकड सा. शादी खातेदार, सोहनलाल पुत्र बालूराम हिंस्सा 1/6 जाति धाकड सा. अनंड तह. सिंगोली (म.प्र.) खातेदार के नाम पर अंकित है, यानि अब यह आराजी वर्तमान में न तो वादीगण की न ही प्रतिवादीगण की आराजी है यह आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 4 से 9 तक की कृषि आराजी है, जिसके वे खातेदार है। अब इस भूमि पर न तो वादीगण का ना ही प्रतिवादी मूलीबाई व धीसीबाई का हक अधिकार है, जहॉ तक भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख के सम्बन्ध में हमारी विनम्र राय से यह पंजीकृत दस्तावेज जब तक निरस्त नहीं होता है तब तक प्रभाव में रहता है, वादीगण द्वारा इस पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हम यहॉ यह भी स्पष्ट करना चाहगें कि अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में हमारे समक्ष इस दावा पत्रावली में इस प्रकार के बेचान को टी.पी.एक्ट से बाधित होना बताया था, जबकि इस दावा पत्रावली में प्रतिवादी सं. 4 से 9 जरिये प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के निर्णय से वे पक्षकार बने थे जिसका की उनके द्वारा जवाब भी दिया था तो इस न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. के निर्णय के विरूद्ध अपील करनी थी लेकिन नहीं की गई ना ही पंजीकृत दस्तावेज निरस्त कराये गये है साथ यदि प्रतिवादीगण संख्या 4 से 9 को इस दावा पत्रावली मे उनके भूमि क्रय किये जाने पर पक्षकार बनाया गया था तो वादीगण को उनके सम्बन्ध मे भी अपने दावा पत्रावली मे संशोधन कराते हुए संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया जाना था जो कि नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा इस न्यायालय में जो दावा ग्राम माधोपुर प0ह0 दौलतपुरा व ग्राम बेगूं की भूमि की घोषणा व विभाजन का प्रस्तुत किया था उसमें से ग्राम माधोपुर की भूमि का विक्रय होने से तथा उनके सम्बन्ध में कोई आक्षेप या राहत हेतु दावे में वादीगण द्वारा संशोधन नहीं करने से वादीगण का यह वाद पत्र अब पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार यह तनकी नं0 12 बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

13– तनकी नं0 13 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार भी वादीगण का है। तनकी में अंकित है कि प्रतिवादीगण सं0 4 से 9 एवं 14 द्वारा भूमि प्रतिवादीगण से क्रय की गई है तो उसे धारा 52 सम्पति अन्तरण अधिनियम के तहत अवैध माना जाता है, प्रतिवादीगण के जवाब दावे में अंकित विक्रय पत्र दिनांक 17.02.2014 वादीगण के हितो के मुकाबले अवैध दस्तावेज है जिसका इस वादपत्र के निर्णय में कोई प्रभाव

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ)

[illegible] प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 तक [illegible] वादीगण [illegible] तरमीम [illegible] [illegible] न तो वादीगण की भूमि है न ही प्रतिवादीगण की भूमि है यह अब केवल प्रतिवादी सं. 4 से 6 तक की भूमि है जिस पर वादीगण का किसी प्रकार का कोई [illegible] का अधिकार नहीं है। अतः तनकी सं. [illegible] विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार [illegible] की गई सभी तनकी [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य समूह के आधार पर वादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं किए गए हैं, साथ ही ग्राम [illegible] की आराजी 230, 231, [illegible] कीता– 6 कुल रकबा [illegible] हैक्टर भूमि के खातेदार [illegible] पुत्र [illegible] हिस्सा 1/6 जाति [illegible] सा. [illegible] तह. [illegible] जिला भीलवाड़ा, [illegible] पुत्र [illegible] हिस्सा 1/6 जाति [illegible] सा. [illegible] तह. [illegible] जिला भीलवाड़ा, [illegible] पुत्र [illegible] हिस्सा 1/6 जाति [illegible] सा. [illegible] तह. [illegible] जिला भीलवाड़ा, [illegible] पुत्र [illegible] हिस्सा 1/6 जाति [illegible] सा. [illegible] तह. [illegible] जिला भीलवाड़ा, [illegible] पुत्र [illegible] हिस्सा 1/6 जाति [illegible] सा. [illegible] खातेदार, [illegible] पुत्र [illegible] हिस्सा 1/6 जाति [illegible] सा. [illegible] तह. [illegible] (म.प्र.) खातेदार के नाम पर अंकित है, यानि अब यह आराजी वर्तमान में न तो वादीगण की न ही प्रतिवादीगण की आराजी है यह आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 4 से 6 तक की [illegible] है, जब वर्तमान में ये खातेदार हैं एवं वादीगण द्वारा [illegible] के सम्बन्ध में भी कोई [illegible] करते हुए इन प्रतिवादी सं. 4 से 6 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है तो वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य समूह के आधार पर सिद्ध नहीं होने से वादी वादीगण का एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

[illegible]
(सहायक कलेक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी), [illegible]

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

वाद पत्र संख्या :– 64 / 1994

1. मूलीबाई पति देवीलाल जाति गूजर निवासी सूलीमगरा तह0 बेगूँ
2. मांगीलाल पिता देवीलाल जाति गूजर पत्नी मांगीलाल गूजर निवासी सूलीमगरा तह0 बेगूँ
3. शांतिबाई पिता कन्हैयालाल जाति गूजर पत्नी शंकरलाल गूजर निवासी सूलीमगरा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. श्रीती धापूबाई बेवा कन्हैयालाल जाति गूजर निवासी सूलीमगरा तह0 बेगूँ
2. धीसी पुत्री कन्हैयालाल जाति गूजर निवासी सूलीमगरा तह0 बेगूँ
3. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ
4. शिवलाल पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी चांद जी की खेडी तह0 बिजोलियां जिला भीलवाडा
5. लोकेश कुमार पिता कन्हैयालाल धाकड निवासी चांद जी की खेडी तह0 बिजोलिया जिला भीलवाडा
6. नरेश कुमार पिता रामचन्द्र धाकड निवासी फतहनगर तह0 बिजोलिया (भीलवाडा)
7. कैलाशचन्द्र पिता प्रभूलाल धाकड निवासी बृजपुरा तह0 बिजोलिया जिला भीलवाडा
8. सुभाषचन्द्र पिता लीलाशंकर धाकड निवासी शादी तह0 बेगूँ
9. सोहनलला पिता बालूराम धाकड निवासी अनेड तहसील सिंगोली जिला नीमच (म.प्र.)
10. गिरीराज पिता शांतिलाल कोठारी (महाजन) निवासी बस्सी तह0 व जिला चितौडगढ
11. शांतिलाल पिता लक्ष्मीनारायण कोठारी (महाजन)निवासी बस्सी तह0 व जिला चितौडगढ
12. दुर्गादेवी पत्नी शांतिलाल कोठारी (महाजन) निवासी बस्सी तह0 व जिला चितौडगढ
13. कृष्णगोपाल पिता शांतिलाल कोठारी (महाजन) निवासी बस्सी तह0 व जिला चितौडगढ़
14. शिवलाल पिता हीरालाल गुर्जर निवासी सामरियाकलां तहसील बेगूँ

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री भोलेश कुमार भट्ट की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.06.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिमत निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से दावा वादीगण का एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

मनस्वी नरेश
(सहायक कलक्टर)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ